रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082020-220943
CG-DL-E-07082020-220943

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2225] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2020/श्रावण 8, 1942
No. 2225] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2020/SRAVANA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

का.आ. 2519(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में NH548C के कि.मी. 4.9 से कि.मी.18 (सब डिविशनल ऑफिस बाळापूर, नियर बाळापूर फोर्ट) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"24/04/2020"** को **"दैनिक पुण्यनगरी"** और **"दैनिक महासागर"** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में **NH548C** के कि.मी. **4.9** से कि.मी.**18** (सब डिविशनल ऑफिस बाळापूर, नियर बाळापूर फोर्ट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		**जिले का नाम: अकोला**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बाळापूर				
	गांव का नाम: कारंजा रमजानपुर				
1	282	निजी	एग्रीकल्चर	0.09	बळीराम मोतीराम काळदाते, भगवान मोतीराम काळदाते (२८२)
2	283	निजी	एग्रीकल्चर	0.52	प्रमिलाबाई भिकाजी कोगदे, संगीता अशोक अघडते, गजानन भिकाजी कोगदे, सुनीता राजेंद्र नागे, संदीप भिकाजी कोगदे, अनिल भिकाजी कोगदे, गणेश भिकाजी कोगदे, सागर भिकाजी कोगदे (२८३)
3	338	निजी	एग्रीकल्चर	0.57	प्रमिलाबाई भिकाजी कोगदे, मनोहर जगदेव कोगदे, राधाबाई ज जगदेव कोगदे, गुंफाबाई ज रामराव पातोडे, वत्सलाबाई ज कडू नवलकार, कामिनाबाई ज देविदास अघडते, संगीता भिकाजी कोगदे, गजानन भिकाजी कोगदे, सुनिता राजेंद्र नागे, संदिप भिकाजी कोगदे, अनिल भिकाजी कोगदे, गणेश भिकाजी कोगदे, सागर भिकाजी कोगदे,

					यमुनाबाई ज ज्ञानदेव फासे, रविंद्र ज्ञानदेव फासे, सतिश ज्ञानदेव फासे, शिवाजी ज्ञानदेव फासे, योजाना दिनेश गोटे, मनकर्णाबाई ज देविदास हिवराळे, सुनिल महादेव दिवनाले, वर्षा विश्वंभर काळे (३३८)
4	339	निजी	एग्रीकल्चर	2.2	श्री. मनोहर जगदेव कोगदे, श्री. गजानन भिकाजी कोगदे (३३९)
5	484	निजी	एग्रीकल्चर	0.1	श्री. गजानन भिकाजी कोगदे (४८४)
6	494	निजी	एग्रीकल्चर	0.12	श्री.प्रफुल राऊत (४९४)
7	495	निजी	एग्रीकल्चर	0.36	श्री वासुदेव विष्णु राऊत (४९५)
8	496	निजी	एग्रीकल्चर	0.11	श्री. संतोष विष्णू राउत (४९६)
	गांव का नाम: लोहरा				
9	505	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.01	सरकारी एफ क्लास (५०५)
10	516	निजी	एग्रीकल्चर	0.1	श्री. धम्मपाल समाधान मोरे (५१६)
11	517	निजी	एग्रीकल्चर	0.02	श्री. शफिक इक़्बाल शेख (५१७)
12	833	निजी	एग्रीकल्चर	0.17	श्री. महादेव नामदेव बघे, श्री. रत्नदीप महादेव बघे (८३३)
13	834	निजी	एग्रीकल्चर	0.11	श्री. प्रभाकर नारायण बघे (८३४)
			कुल	**4.48**	

[फा. सं. RW/NH-12014/160/2016/MAH-P6/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2020

S.O. 2519(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH548C on the stretch of land from Km. 4.9 to Km 18 (Sub Divisional office Balapur , Near Balapur Fort) in the district of AKOLA in the state of MAHARASHTRA.

And whereas the substance of the said notification has been published in "*Dainik Punyanagari*" and "*Dainik Mahasagar*" both dated 24/04/2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH548C in the stretch of land from Km. 4.9 to 18 (Sub-Divisional office Balapur , Near Balapur Fort) in the district of AKOLA in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		**District: AKOLA**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Balapur				
	Viilage: Karanja Ramjanpur				
1	282	Private	Agriculture	0.09	Baliram Motiram Kaldate, Bhagwan Motiram Kaldate 282
2	283	Private	Agriculture	0.52	Pramilabai Bhikaji kogade, Sangita Ashok Aghadte, Gajanan Bhikaji Kogade, Sunita Rajendra Nage, Sandip Bhikaji Kogade, Anil Bhikaji Kogade, Ganesh Bhikaji Kogade, Sagar Bhikaji Kogade 283
3	338	Private	Agriculture	0.57	Pramilabai Bhikaji Kogade, Manohar Jagdev Kogade, Radhabai J Jagdev Kogade, Gumphabai J Ramrao Patode, Vatsalabai J Kadu Navalkar, Kaminabai J Devidas Aghadte, Sangita Bhikaji Kogade, Gajanan Bhikaji Kogade, Sunita Rajendra Nage, Sandip Bhikaji Kogade,

					Anil Bhikaji Kogade, Ganesh Bhikaji Kogade, Sagar Bhikaji Kogade, Yamunabai J Dnyandev Fase, Ravindra Dnyandev Fase, Satish Dnyandeo Phase, Shivaji Dnyandev Fase, Yojana Dinesh Gote, Mankarnabai J Devidas Hiwrale, Sunil Mahadev Diwanale, Varsha Vishwambhar Kale 338
4	339	Private	Agriculture	2.2	Shri. Manohar Jagdev Kogade, Shri. Gajanan Bhikaji Kogade 339
5	484	Private	Agriculture	0.1	shri.Gajanan Bhikaji Kogade 484
6	494	Private	Agriculture	0.12	Shri Praful Raut 494
7	495	Private	Agriculture	0.36	Shri Wasudev Vishnu Raut 495
8	496	Private	Agriculture	0.11	Shri. Santosh Vishnu Raut 496
	Viilage: Lohara				
9	505	Government	NonAgriculture	0.01	Government F-Class 505
10	516	Private	Agriculture	0.1	shri. Dammapal Samadhan more 516
11	517	Private	Agriculture	0.02	Shri. Shafik Iqbal Shekh 517
12	833	Private	Agriculture	0.17	shri. Mahadev Namdev Baghe, shri. Ratnadeep Mahadev Baghe 833
13	834	Private	Agriculture	0.11	shri. Prabhakar Narayan Baghe 834
			TOTAL	**4.48**	

[F. No. RW/NH-12014/160/2016/MAH-P6/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.